अध्याय 5

अनुश्रवण एवं निरीक्षण

अध्याय 5

अनुश्रवण और निरीक्षण

5.1 राज्य/जिला/प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयाँ

पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार, राज्य, ज़िला और प्रखण्ड स्तर पर पीएमयु को हरित आवासों को बढ़ावा देने सहित विभिन्न स्तरों पर योजना का अनुपालन और गुणवत्तापूर्ण अनुश्रवण करना था।

5.1.1 राज्य/जिला/प्रखंड पीएमयु का गठन

राज्य पीएमयु: राज्य स्तरीय पीएमयु में राज्य नोडल अधिकारी के साथ-साथ हरित आवास तकनीकी विशेषज्ञ सहित आवास निर्माण से जुड़े तकनीकी विशेषज्ञ शामिल किए जाने थे। इसके अलावा, आवश्यकता अनुसार आईटी, एमआईएस, पीएफएमएस, वित्तीय मामलों, सामाजिक मोबिलाइज़ेशन, प्रशिक्षण समन्वयक और सपोर्ट स्टाफ संबंधी विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाना था।

आरडीडी, झारखण्ड सरकार ने मई 2017 में जारी एक अधिसूचना के ज़रिए, एसपीएमयु के लिए तकनीकी विशेषज्ञ, आईटी-सह-एमआईएस विशेषज्ञ, प्रशिक्षण विशेषज्ञ, सामाजिक सुधार और सामुदायिक सशक्तिकरण विशेषज्ञ, वित्त प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर-सह-कार्यालय वित्त सहायक के पदों को मंज़ूरी दी थी। अभिलेखों[1] के अनुसार, एसपीएमयु में नौ विशेषज्ञ/कार्मिक पदस्थापित थे परंतु एसपीएमयु के गठन, नियुक्त कार्मिकों के विशेषज्ञता संबंधी विवरण, कार्मिकों के प्रदर्शन मूल्यांकन (2023-24 से पहले) आदि से संबंधित अभिलेख/जानकारी माँगने के बावजूद लेखापरीक्षा को नहीं दी गई (अगस्त 2024)।

ज़िला और प्रखण्ड पीएमयु: ज़िला पीएमयु में, निर्माण, आईटी, प्रशिक्षण समन्वयक और सपोर्ट स्टॉफ क्षेत्र में तकनीकी कर्मचारी/पेशेवर, के अलावे एक पूर्णकालिक कार्यक्रम पदाधिकारी या उचित वरीयता वाले पदाधिकारी नियुक्त किए जाने थे। प्रत्येक प्रखण्ड पीएमयु का नेतृत्व एक पूर्णकालिक प्रखंड स्तर पदाधिकारी/कोऑर्डिनेटर द्वारा एक एमआईएस डेटा एंट्री ऑपरेटर और तकनीकी सहकर्मी के सहयोग से किया जाना था।

मार्च 2017 में, आरडीडी, झारखण्ड सरकार ने एक अधिसूचना के ज़रिए, 24 ज़िला के प्रत्येक पीएमयु के लिए तीन पद, अर्थात जिला कोऑर्डिनेटर, प्रशिक्षण कोऑर्डिनेटर और लेखाकार-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर और 263 प्रखंड के प्रत्येक पीएमयु के लिए दो पद, अर्थात प्रखंड कोऑर्डिनेटर और लेखाकार-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर की स्वीकृति दी। इसके आधार पर, आरडीडी ने ज़िलों को ज़िला और प्रखण्ड स्तर के पीएमयु के लिए कार्मिकों की नियुक्त के लिए प्राधिकृत किया।

---

[1] एसपीएमयू कर्मियों की सेवा विस्तार (2024-25 तक) से संबंधित अभिलेख।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएमएवाई-जी के एफएफआई में जिला और प्रखंड स्तर पीएमयु के लिए निर्धारित पाँच और तीन पदों के विरूद्ध आरडीडी द्वारा केवल तीन और दो कार्मिकों के पदों की स्वीकृति दी गई। निर्माण क्षेत्र में तकनीकी पेशेवर के आवश्यक पद को जिला पीएमयु के लिए स्वीकृति नहीं दी गई थी, जबकि प्रखंड स्तर पीएमयु के लिए तकनीकी सहायता कर्मचारी के एक पद की स्वीकृति नहीं दी गई थी।

छह जिलों और 12 प्रखंडों में नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि जिला और प्रखंड स्तर के पीएमयु के लिए इन कार्मिको की नियुक्ति आरडीडी अधिसूचना (मार्च 2017) के अनुसार मार्च 2017 और अक्टूबर 2017 के बीच पूर्ण हो गई थी। हालांकि, जिला/प्रखंड पीएमयु के लिए तकनीकी कार्मिक/पेशेवर और तकनीकी सहायता कर्मचारी के पदों की मंज़ूरी न मिलने के कारण, लाभार्थी आवास बनाने के दौरान तकनीकी मार्गदर्शन/सहायता से वंचित रहे। पीएमयु (राज्य/जिला/प्रखंड) के लिए स्वीकृत कार्यबल और विद्यमान कार्यबल का विवरण ***परिशिष्ट-5.1*** में दिया गया है।

जवाब में, आरडीडी ने (जून 2025) बताया कि राज्य, ज़िला और प्रखंड स्तर योजना प्रबंधन ईकाईयों (पीएमयु) की आवश्यकतानुसार नियुक्तियाँ की गई हैं। पीएमएवाई-जी के एफएफआई में निर्दिष्ट पदों में से गैर-ज़रूरी पदों पर नियुक्ति नहीं की गई है।

जवाब पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अंतर्गत राज्य/ज़िला/प्रखंड पीएमयु के गठन से जुड़े प्रावधानों के मुताबिक नहीं है। तकनीकी कर्मियों/वृत्तिक और तकनीकी सपोर्ट स्टाफ की नियुक्ति न होने से भी योजना के लागू होने पर प्रभाव पड़ा क्योंकि आवासों के निर्माण के दौरान लाभार्थियों को परिकल्पित तकनीकी मार्गदर्शन/सहायता नहीं दिया जा सका।

5.1.2 राज्य/जिला/प्रखंड पीएमयु के कर्तव्य

राज्य, ज़िला और प्रखंड के पीएमयु को सामूहिक रूप से राज्य, ज़िला और प्रखंड स्तर पर आवास परियोजनाओं का प्रभावी नियोजन, कार्यान्वयन और अनुश्रवण सुनिश्चित करनी थी, जैसा पीएमएवाई-जी के एफएफआई में निर्दिष्ट था। राज्य, ज़िला और प्रखंड स्तर पर पीएमयु के मुख्य कार्य **चार्ट- 5.1** में दर्शाए गए हैं।

चार्ट-5.1: पीएमयू के कर्तव्य

राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)

- ज़िलों और प्रखंडों के लिए लक्ष्य तय करना।
- स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्लूएल) और वार्षिक चयन सूची तैयार करना।
- क्षेत्रीय आवास टाइपोलॉजी विकसित करना और हरित सामग्रियों की सिफारिश करना।
- विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल की योजना बनाना। राजमिस्त्रियों को ट्रेनिंग देना और लाभार्थियों को जागरूक करना।
- निर्माण की प्रगति और ऋण वितरण की निगरानी करना तथा निधि प्रस्तावों और सॉफ्टवेयर टूल (आवाससॉफ्ट) जैसे प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करना।

जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू)

- पीडब्लूएल को अंतिम रूप देना और लाभार्थियों के लिए भूमि आवंटन में मदद करना।
- लाभार्थियों को जागरूक करना और राजमिस्त्री को प्रशिक्षण देना।
- सामग्री प्राप्ति और स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व में उत्पादन का समन्वयन।
- ऋण के लिए बैंकों के साथ समन्वय और जिला स्तरीय बैंकर्स समिति (डीएलबीसी) के ज़रिए प्रगति का निगरानी करना।

प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू)

- लाभार्थियों का पंजीकरण।
- हरित आवास को प्रोत्साहन।
- प्रशिक्षित राजमिस्त्री और ग्रामीण कार्मिक जैसे संसाधन देना।
- निर्माण की प्रगति की देखरेख करना।
- निधि का ससमय वितरण सुनिश्चित करना।

आरडीडी द्वारा मार्च 2017 में जारी भर्ती नियमों के अनुसार, जिला और प्रखंड पीएमयु में नियुक्त कार्मिक पीएमएवाई-जी के एफएफआई में निर्दिष्ट कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे। हालांकि, लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि राज्य, जिला और प्रखंड पीएमयु के कार्मिकों को पीएमएवाई-जी से संबंधित कार्यों के अतिरिक्त दूसरे कार्य जैसे राज्य की आवास योजनाओं (*बिरसा आवास योजना, अबुआ आवास योजना*) को लागू करना, कानून व्यवस्था के कार्य, परीक्षा कार्य आदि भी सौंपे गए थे/में लगाये गये थे।

जवाब में, आरडीडी ने (जून 2025) कहा कि कार्यहित में, कर्मचारियों को पीएमएवाई-जी कार्य के साथ-साथ दूसरे कार्य भी सौंपे जाते हैं, लेकिन इससे पीएमएवाई-जी के एफएफआई में निर्दिष्ट कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ता है।

आरडीडी का जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि राज्य, ज़िला और प्रखंड स्तर पर पीएमयु योजना के कार्यान्वयन और गुणवत्तापूर्ण पर्यवेक्षण के अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी थे। अनुश्रवण में कमी के कारण पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में कई कमियाँ निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई।

अनुशंसा 7: राज्य सरकार राज्य, जिला और प्रखंड परियोजना प्रबंधन ईकाईयों में योजना के कार्यान्वयन और गुणवत्तापूर्ण पर्यवेक्षण का अनुश्रवण सुनिश्चित कर सकती है, जैसा पीएमएवाई-जी के एफएफआई में परिकल्पित है।

5.2 राज्य/जिला/प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण

पीएमएवाई-जी के एफएफआई में निर्धारित है कि वार्षिक कार्य योजना के अनुसार योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, निर्देश और अनुश्रवण हेतु राज्य और ज़िला स्तर पर समितियां गठित करनी थी। इन समितियों में वार्षिक कार्य योजना के विभिन्न घटको को कार्यान्वित करने वाले अधिकारी और जन प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसी प्रकार, निर्माण के दौरान आवासों के अनुश्रवण के लिए भी प्रखंड स्तर के अधिकारी ज़िम्मेदार थे।

5.2.1 राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुश्रवण

राज्य स्तर पर गठित समिति, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव द्वारा की जानी थी, का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाना था। इस समिति की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होनी थी।

एसपीएमयु ने 2019-24 के दौरान राज्य स्तरीय समिति के गठन और बैठकें, यदि कोई हुई थीं, से संबंधित कोई अभिलेख नहीं प्रस्तुत किया। पूछताछ करने पर एसपीएमयु ने (दिसंबर 2024) बताया कि केंद्र/राज्य प्रायोजित सभी योजनाओं के अनुश्रवण के लिए विभाग स्तर पर एक अनुश्रवण समिति कार्य कर रही थी। हालांकि, अनुश्रवण समिति की बैठकों का कार्यवृत उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रावधानों के अनुसार पीएमएवाई-जी के लिए राज्य स्तरीय समिति के गठन संबंधी अभिलेख के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा शीर्ष स्तर पर योजना के अनुश्रवण की पुष्टी नहीं की जा सकी।

जवाब में, आरडीडी ने (जून 2025) बताया कि विभागीय स्तर पर एक सत्यापन दल गठित की गई है जो क्षेत्र में जाकर योजना का अनुश्रवण करती है। मुख्य सचिव स्तर पर भी समय-समय पर योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण किया जाता है। राज्य/ज़िला/प्रखंड स्तर पर भी योजना का नियमित आधार पर अनुश्रवण किया जाता है।

विभाग का जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि एसपीएमयु ने लेखापरीक्षा को राज्य स्तरीय समिति के गठन और बैठक के कार्यवृत से संबंधित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया। आगे भी इस संबंध में लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख नहीं दिया गया।

5.2.2 जिला स्तरीय समितियों द्वारा अनुश्रवण

पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार, जिला स्तर समितियों की अध्यक्षता जिला समाहर्ता के द्वारा की जानी थी और वर्ष की प्रत्येक तिमाही में बैठक आयोजित की जानी थी। पीएमएवाई-जी के एफएफआई में यह भी निर्दिष्ट था कि जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्माण के दौरान हरित तकनीक प्रयोग की जाने वाली आवास सहित दो प्रतिशत आवासों का अनुश्रवण करना चाहिए।

नमूना-जांचित छः जिलों में 2019-24 के दौरान 3.55 लाख आवास निर्मित किए गए थे। इस तरह, 7,100 आवासों (निर्मित आवासों का दो प्रतिशत) का भौतिक अनुश्रवण उनके निर्माण के दौरान डीएलसी द्वारा किया जाना था।

नमूना-जांचित छः जिलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि डीएलसी का गठन ही नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप निर्माण के दौरान आवासों का अनुश्रवण नहीं किया जा सका।

इस प्रकार भौतिक निरीक्षण, जैसा पीएमएवाई-जी के एफएफआई में निर्दिष्ट था, न होने के कारण, योजना के कार्यान्वयन की कमियों और लाभार्थियों को होने वाली समस्याओं की सुधार हेतु पहचान नहीं की जा सकी, जैसा प्रतिवेदन के **अध्याय-3** में वर्णित है।

जवाब में, आरडीडी ने (जून 2025) कहा कि पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार योजना के उचित ढंग से अनुश्रवण हेतु संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएंगे। यह भी कहा गया कि एसपीएमयु को जिला पीएमयु के अनुश्रवण का निर्देश दिया गया है।

5.2.3 प्रखंड स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण

पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार प्रखंड स्तर के अधिकारियों को निर्माण के दौरान हरित तकनीक वाले आवासों सहित यथासंभव 10 प्रतिशत आवासों का निरीक्षण करना था।

बारह प्रखंडों के नमूना जाँच के दौरान, यह पाया गया कि प्रखंड स्तर पीएमयु के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली गई थी **(कंडिका 5.1.1)**। इसके अलावा, 12 नमूना-जांचित प्रखंडों[2] में 2019-24 के दौरान 73,245 आवास का निर्माण किया गया था। इस प्रकार 7,324 आवासों (निर्माण का 10 प्रतिशत) का प्रखंड स्तरीय समितियों द्वारा भौतिक निरीक्षण किया जाना था। छह जिलों के अधीन 12 नमूना परीक्षित प्रखंडों में, प्रखंड स्तर के अधिकारियों द्वारा आवासों के निरीक्षण (निर्माण के दौरान) से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। चयनित प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने

---

[2] बोकारो जिले का गोमिया और जरीडीह प्रखंड; दुमका जिले का जामा और सरैयाहाट प्रखंड; गिरिडीह जिले के देवरी और पीरटांड़ प्रखंड; पलामू जिले के हुसैनाबाद और नीलांबर-पीतांबरपुर; रामगढ़ जिले के दुलमी और मांडू प्रखंड; सिमडेगा जिले का कुरडेग और ठेठईटांगर प्रखंड

बताया (नवंबर-दिसंबर 2024) कि यद्यपि निरीक्षण किए गए थे, लेकिन कोई भौतिक अभिलेख संधारित नहीं किया गया था।

जवाब में, आरडीडी ने (जून 2025 में) कहा कि पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार अनुश्रवण के लिए सभी प्रखंड स्तर अधिकारियों को उचित निर्देश दिए जाएंगे।

5.2.4 क्षेत्रीय अधिकारी अनुश्रवण ऐप

एमओआरडी, भारत सरकार ने पीएमएवाई-जी आवासों के निरीक्षण और अनुश्रवण को सरल एवं कारगर बनाने के लिए एक एप्लीकेशन, यानी एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग मोबाइल ऐप विकसित (जनवरी 1994)किया था। इसके बाद, आरआरडी, झारखंड सरकार ने (मार्च 2021) सभी जिलों को निर्देश दिया कि वे इस ऐप के ज़रिए भौतिक निरीक्षण के आधार पर पीएमएवाई-जी आवासों के निर्माण कार्यों का निरीक्षण प्रतिवेदन और तस्वीरें अपलोड करना सुनिश्चित करें। सभी डीसी, डीडीसी, जिला समन्वयक, बीडीओ और प्रखंड समन्वयक को अनुश्रवण के लिए क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में पंजीकृत किया गया था। ऐप ने क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रतिमाह 20 निरीक्षण करने, अनियमितताओं या कमियों को पकड़ने और अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु उनके निष्कर्षों को अपलोड करने में सक्षम किया।

लेखापरीक्षा के दौरान नमूना-जांचित प्रखंड/ज़िलों और राज्य पीएमयु ने इस ऐप के ज़रिए किए गए भौतिक निरीक्षण के कोई दस्तावेज़/जानकारी उपलब्ध नहीं कराए। इसलिए, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नही कर सका कि वास्तव में कितने निरीक्षण किए गए थे।

जवाब में, आरडीडी ने (जून 2025) कहा कि इस संबंध में उचित निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

5.3 ग्राम पंचायतों की भूमिका

पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार, इस योजना के तहत *ग्राम पंचायतों* की एक अहम भूमिका है, जिसमें शामिल हैं:

भूमिका/श्रेणी	विशिष्ट जिम्मेदारियां
लाभार्थी प्रबंधन	एसईसीसी-2011 के आंकड़े और आवास+ सूची के आधार पर योग्य लाभार्थियों का चयन, प्राथमिकता देना और पीडब्ल्यूएल को अंतिम रूप देना।
अभिविन्यास और सहायता	योजना के विवरण के संबंध में लाभार्थियों का मार्गदर्शन और स्वयं आवास निर्माण करने में असमर्थ लोगों की राजमिस्त्री प्रशिक्षण के माध्यम से मदद करना।
भूमि और सामग्री सहायता	भूमिहीन लाभार्थियों के लिए ज़मीन की पहचान और उन्हें उचित दरों पर निर्माण सामग्रियों और प्रशिक्षित राजमिस्त्री उपलब्ध कराने में मदद करना।
एसएचजी की भागीदारी	स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को अच्छी गुणवत्ता वाले भवन सामग्री बनाने और आपूर्ति करने हेतु प्रोत्साहित करना।
योजना अभिसरण	लाभार्थियों को अन्य सरकारी योजनाओं से अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने में मदद करना।
अनुश्रवण और समस्या-समाधान	बैठकों में योजना की प्रगति पर चर्चा करना और लाभार्थियों की समस्याओं का निदान करना।
सामाजिक लेखापरीक्षा	लेखापरीक्षा करने में सामाजिक लेखापरीक्षा दलों की मदद करना।
ससमय पूर्णता	आवासों के ससमय पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय स्तर के अधिकारियों को दायित्व सौंपना।

पीएमएवाई-जी का एफएफआई यह भी निर्दिष्ट करता है कि राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को सौंपे गए कार्यो के निष्पादन में समर्थ बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेषकर भवन निर्माण सामग्री और तकनीक संबंधी आयोजित कर सकती है एवं आईईसी सामग्री दे सकती है। इन मदों पर होने वाले व्यय को प्रशासनिक खर्चों के लिए आवंटित निधि से पूर्ण किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने अभिलेखों की जांच और चयनित लाभार्थियों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के लिए नमूना-जांचित छः जिलों के 60 चयनित ग्राम पंचायतों ***(परिशिष्ट 1.1)*** का दौरा किया। यह देखा गया कि किसी भी चयनित ग्राम पंचायतों ने लाभार्थी चयन, अभिसरण, सामग्रियों के स्रोत, अनुश्रवण और निरीक्षण आदि से संबंधित आवश्यक अभिलेख/जानकारी और रोकड़ बही आदि का संधारण नहीं किया था। पंचायत सचिव/मुखिया द्वारा बताया गया कि उनके पूर्ववर्तियों द्वारा कोई अभिलेख नहीं सौंपे जाने और प्रखंड आदि द्वारा किसी भी संबंधित काम के लिए निधि अंतरित नहीं किए

जाने के कारण अभिलेख उपलब्ध नहीं था/संधारित नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा, ग्राम पंचायत स्तर पर अभिलेख की अनुपलब्धता के कारण पीएमएवाई-जी के एफएफआई के तहत सौंपे गए कर्तव्यों संबंधी ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का पता नहीं लगा सकी।

जवाब में, आरडीडी (जून 2025) ने बताया कि जिला/प्रखंड स्तर के सभी अधिकारियों को ज़रूरी निर्देश जारी किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राम पंचायतों की ज़िम्मेदारियों का निष्पादन पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार किए जाएँ। इसके अलावा, निकासी सम्मलेन (जून 2025) के दौरान आरडीडी के सचिव ने कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा आवश्यक सत्यापन के लिए भौतिक अभिलेखों को रखने हेतु कार्यान्वयन अभिकरणों को निदेशित किया जाएगा।

5.4 सामाजिक लेखापरीक्षा

पीएमएवाई-जी का एफएफआई यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्ष में कम से कम एक बार सभी पहलुओं की अनिवार्य समीक्षा को शामिल करते हुए सामाजिक लेखापरीक्षा किया जाना है। सामाजिक लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना था। इस प्रक्रिया में योजना के अनुश्रवण के साथ-साथ लेखापरीक्षा प्रक्रिया में जन भागीदारी को भी शामिल किया गया था।

जून 2018 में आहुत सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई, झारखंड की बैठक में यह तय किया गया था कि पीएमएवाई-जी के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत सामाजिक लेखापरीक्षा किया जाएगा। एसपीएमयू द्वारा लेखापरीक्षा को दी गई जानकारी के अनुसार, 2020-21 के दौरान, 24 में से पांच[3] जिलों के 77 ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर सामाजिक लेखापरीक्षा किया गया था। नमूना-जांचित छः जिलों में से दो जिलों (दुमका और पलामू) के अंतर्गत दो प्रखंडों (शिकारीपाड़ा और नौडीहा बाज़ार) में 2020-21 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा किया गया था। इसके बाद 2022-24 के दौरान शेष ग्राम पंचायतों/प्रखंड/जिलों में सामाजिक लेखापरीक्षा कराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं/कमियों और लाभार्थियों को आवास निर्माण में आने वाली कठिनाइयों को उजागर नहीं किया जा सका। इसके अलावा, अनुश्रवण प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का उद्देश्य भी पूर्ण नहीं हो पाया।

पायलट प्रोजेक्ट के तहत सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान जो मुख्य मुद्दे उजागर हुए, वे थे, निर्धारित चरण (विंडोसिल लेवल) से पहले लाभार्थियों को दूसरी किस्त जारी करना, लाभार्थियों को लोन सुविधा के बारे में जानकारी न होना, मनरेगा के तहत

---

[3] दुमका, गुमला, हज़ारीबाग, पलामू और साहिबगंज।

मज़दूरी का भुगतान न होना, पहली किस्त मिलने के बाद भी लाभार्थियों द्वारा काम शुरू न करना और लाभार्थियों के अलावा दूसरे लोगों के बैंक खातों में निधि का अंतरण। जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की दिशा-निर्देशों के आलोक में मौजूदा वित्त वर्ष से मनरेगस के साथ पीएमएवाई-जी का सामाजिक लेखापरीक्षा किया जाएगा।

अनुशंसा 8: राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि समय-समय पर सामाजिक लेखापरीक्षा किया जाए, जैसा* पीएमएवाई-जी के एफएफआई *में परिकल्पित है।

5.5 शिकायत निवारण तंत्र

पीएमएवाई-जी के एफएफआई में विभिन्न स्तरों अर्थात ग्राम पंचायत, प्रखंड, ज़िला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए जाने का प्रावधान है। शिकायतकर्ता की संतुष्टि हेतु शिकायतों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर राज्य सरकार के एक अधिकारी की नियुक्ति की जानी थी। प्रत्येक स्तर पर नियुक्त अधिकारी शिकायत प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अंदर शिकायतों के निपटान हेतु उत्तरदायी थे।

ग्राम पंचायतों, प्रखंडों और जिलों में अभिलेख के नमूना जांच से पता चला कि लाभार्थियों की शिकायतों/परेशानियों को दूर करने के लिए कोई शिकायत निवारण तंत्र स्थापित नहीं किया गया था।

जवाब में, आरडीडी ने (जून 2025) बताया कि पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार उचित कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। आगे यह भी बताया गया कि सीपीग्राम में दर्ज सभी शिकायतों का समय पर निपटान किया जाता है।

5.5.1 केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और अनुश्रवण प्रणाली

केन्द्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और अनुश्रवण प्रणाली (सीपीग्राम) एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को 24x7 उपलब्ध है ताकि वे सेवा से जुड़े किसी भी विषय पर सरकारी अधिकारियों से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। यह एक सिंगल पोर्टल है जो भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से जुड़ा हुआ है। सीपीग्राम में दर्ज की गई शिकायत की स्थिति को, शिकायतकर्ता को पंजीकरण के समय दी गई यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी से, ट्रैक किया जा सकता है।

नमूना-जांचित छः जिलों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2019-24 के दौरान सीपीग्राम पोर्टल के ज़रिए पीएमएवाई-जी से जुड़ी 326 शिकायतें[4] दर्ज की गईं और उनका निपटान किया गया। हालांकि, शिकायतों के प्रकृति के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई क्योंकि कोई अभिलेख संधारित नहीं थे।

---

4 प्राप्त एवं निस्तारित शिकायतें--बोकारो: 70; दुमका: 37; गिरिडीह: 88; पलामू: 84; रामगढ़: 37 और सिमडेगा: 10.

जवाब में, आरडीडी ने (जून-2025) बताया कि पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी बताया गया कि सीपीग्राम में दर्ज सभी शिकायतों का समय पर निपटान किया जाता है।

अनुशंसा 9: राज्य सरकार राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर शिकायत निवारण और अनुश्रवण प्रणाली बना सकती है और उसे संचालित कर सकती है जैसा योजना के तहत परिकल्पित है।

5.6 आंतरिक लेखापरीक्षा

एमओआरडी, भारत सरकार ने 2019-20 के दौरान एक जिले (पूर्वी सिंहभूम) में पीएमएवाई-जी का आतंरिक लेखापरीक्षा किया। एमओआरडी की आतंरिक लेखापरीक्षा शाखा ने बैंक खातों का समाशोधन न होना, एसएचजी द्वारा अनुश्रवण न होना, निधि का अवरोधन और विचलन जैसे मुद्दे देखे। हालांकि, उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार, यह देखा गया कि दिसंबर 2024 तक लेखापरीक्षा टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन लंबित थे।

5.7 सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से अनुश्रवण

पीएमएवाई-जी के एफएफआई राज्यों द्वारा एक समुदाय आधारित सहभागिता अनुश्रवण प्रणाली लागू करने का प्रावधान करता है। निर्मित आवासों की प्रगति और गुणवत्ता के सहभागिता अनुश्रवण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) और सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन (सीएसओ) के तहत एसएचजी नेटवर्क का प्रयोग किया जाना था।

हालांकि, एसपीएमयु द्वारा लेखापरीक्षा को दी गई जानकारी (दिसंबर 2024) से पता चला कि राज्य में समुदाय आधारित सहभागिता अनुश्रवण प्रणाली अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है।

जवाब में, आरडीडी ने (जून 2025) बताया कि योजना के कार्यान्वयन में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर एसएचजी की मदद ली जाती है।

हालांकि, लेखापरीक्षा को सामुदायिक सहभागिता संबंधी कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं दिया गया।

5.8 निष्कर्ष

पीएमयू द्वारा राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर आवास से जुड़े कामों की निगरानी, जिसमें पीएमएवाई-जी को लागू करने के अवसंरचना के तहत अनिवार्य निरीक्षण भी शामिल थे, प्रभावी नहीं थे। ग्राम पंचायतों ने, योजना में परिकल्पित अपनी अहम भूमिका के बावजूद, किसी भी निरीक्षण और अनुश्रवण गतिविधि के समर्थन कोई अभिलेख का संधारण नहीं किया था।

2020-21 के दौरान 24 जिलों में से पांच जिलों (दुमका, गुमला, हजारीबाग, पलामू और साहिबगंज) के 77 ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर सामाजिक लेखापरीक्षा किया गया था। हालांकि, 2022-24 के दौरान शेष ग्राम पंचायतों/प्रखंडों/जिलों में कोई सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं किया गया, जिसके कारण योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं/कमियों और लाभार्थियों को आवास बनाने में आने वाली कठिनाईयों की पहचान नहीं हो पाई और समय पर उनका समाधान नहीं किया जा सका।

शिकायत निवारण और सामुदाय आधारित अनुश्रवण प्रणाली जैसे मुख्य अनुश्रवण तंत्र भी मौजूद नहीं पाए गए।

राँची **(इन्दु अग्रवाल)**
दिनांक: 24 अप्रैल 2026 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),**
झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**
दिनांक: 30 अप्रैल 2026 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**